दिनांक 26.08.2014 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आहूत आत्मा योजना की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संधारित।

समीक्षा बैठक के प्रारंभ में निदेशक बामेती ने माननीय मंत्री कृषि विभाग, बिहार तथा प्रधान सचिव, कृषि का स्वागत किया। बैठक में अपना विचार रखते हुये माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि जिला स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एक दूसरे के साथ समन्वय करके विभाग की योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कतिपय कारणों से कृषि पदाधिकारी विभागीय कार्यों में पूरा समय नही दे पाये, इसलिये आवश्यक है कि इस वर्ष की शेष अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। माननीय मंत्री जी ने सभी परियोजना निदेशक आत्मा को सुझाव दिया कि आत्मा योजना के माध्यम से कृषि विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी जनमानस में प्रचारित की जाये।

मासिक समीक्षा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

1. परियोजना निदेशक, आत्मा सारण, गोपालगंज एवं खगड़िया से समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति के कारण की पृच्छा की जाये।

   (अनुपालन – निदेशक बामेती)

2. कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को सामूदायिक शिक्षण यथा होर्डिंगस, बैनर आदि के माध्यम से किसानों को जानकारी देकर जागरूक किया जाये ताकि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हो। इस हेतु लक्ष्यानुसार तत्काल कार्यान्वयन करावें।

   (अनुपालन – परियोजना निदेशक आत्मा)

3. प्रत्येक जिला, अनुमण्डल तथा प्रखंड मुख्यालय सहित निकट बाजार/हाट आदि के मुख्य सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क मार्गो पर भी विभागीय कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की होर्डिंग लगायी जाये।

   (अनुपालन– उप कृषि निदेशक (सूचना), परियोजना निदेशक आत्मा)

4. जिलों के लिये उपावंटित स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान 2014–15 के भौतिक एवं वितीय लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिये ठोस रणनीति बनाकर उस पर कार्यान्वयन कराया जाये।

   (अनुपालन– निदेशक बामेती एवं परियोजना निदेशक आत्मा)

5. आत्मा योजना के कार्यक्रमों को शत–प्रतिशत कार्यान्वित करने के लिये जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी सहित संबद्ध विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय किया जाये। इस हेतु निदेशक कृषि प्रस्ताव गठित करें।

   (अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा,
   जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी)

6. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल (प्रखंड स्तरीय) के आरक्षण रोस्टर को **दिनांक 31.08.2014** से पूर्व जिला पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर बामेती को उसकी सूचना दी जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

7. आत्मा योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन में सूचीबद्ध **"कार्यपालक सहायक"** की सेवा (नियमानुसार) तत्काल प्राप्त की जाये।

जिन जिलों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की सूची से "कार्यपाल सहायक" की सेवा प्राप्त करने में तकनीकी बाधा हो, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था जिला पदाधिकारी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु की जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

8. विभागीय योजना "कृषि यांत्रीकिकरण" के अंतर्गत कृषि यंत्रों की खरीद पर इच्छुक किसानों को विभागीय सहायता प्रदान करने के लिये किसानों से ऑन लाइन आवेदन "कार्यपालक सहायक" के माध्यम से Enter किया जाये।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक आत्मा)

9. कृषि यांत्रीकिकरण योजना के अंतर्गत किसानों से आन लाइन आवेदन जमा करने के कार्य में "वसुधा केन्द्र" को सेवा प्रदाता के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया जाये। इस हेतु जिला स्तर पर बैठक की जाये।

(अनुपालन– संयुक्त निदेशक कृषि अभियंत्रण, उप निदेशक कृषि अभियंत्रण, जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा)

10. किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक के साथ जिला में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी विशेषज्ञों की भी सेवा किसानों से ऑफ लाइन/ऑन लाइन आवेदन प्राप्त करने में ली जाये।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा एवं कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र)

11. लखीसराय जिला में आत्मा योजनाओं के कार्यक्रमों को कार्यावित करने के लिये मात्र रू. 70,000/– की राशि अवशेष है। अतः निदेशक, बामेती मुख्यालय स्तर से माह सितम्बर–अक्टूबर, 2014 के आत्मा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि बामेती के स्तर से अवमुक्त करने की कार्यवाई करें।

(अनुपालन– निदेशक बामेती)

12. आत्मा योजना के विभिन्न मदों यथा प्रत्यक्षण, परिभ्रमण, किसान हित समूह, किसान पाठशाला का संचालन, किसान–वैज्ञानिक मिलन, आदि में शत–प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त करने की रणनीति बनायी जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक बामेती के माध्यम से हस्तानांतरित की गयी योजना राशि का लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्त विभाग के प्रपत्र 42A में भरवाकर मुख्यालय (कृषि निदेशालय एवं बामेती) को दिनांक **31.08.2014** तक उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक आत्मा)

14. माह अगस्त, 2014 तक के आत्मा योजना के कार्यक्रमों का माहवार प्रगति प्रतिवेदन (MPR) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत प्रारूप (detailed format) में EMS के माध्यम से नई दिल्ली को **01.09.2014** तक निश्चित रूप से भेजा जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा एवं सहायक निदेशक, (सू.त.), बामेती)

15. आत्मा योजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि (ब्याज सहित) का विवरण दिनांक **31.08.2014** तक बामेती को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

16. बामेती द्वारा विगत वर्षों में जिलों को हस्तानांतरित की गयी National Project on Management of Soil Health & Fertility योजना की घटकवार राशि (ब्याज सहित) दिनांक **31.08.2014** तक बामेती को डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा RTGS के माध्यम से वापस की जाये।

(अनुपालन–राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा एवं सहायक मृदा शोध पदाधिकारी)

17. कृषि विभाग द्वारा सुलभ दूर संचार सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान किये गये मोबाइल सिम (VPN) के विपत्र (मार्च 2012 से जून, 2013) के Extra Use Charges (विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय अधिसीमा) की राशि को तत्काल बामेती को चेक/डिमाण्ड डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद रूप में समर्पित किया जाये।

(परियोजना निदेशक आत्मा एवं आत्मा योजना से संबंधित अन्य पदाधिकारी)

18. आत्मा योजना की मार्गदर्शिका के नियमानुसार प्रखंड किसान सलाहकार समिति का पुर्नगठन तथा जिला किसान सलाहकार समिति का गठन दिनांक **15.09.2014** के पूर्व करके राज्य नोडल पदाधिकारी एवं बामेती को सूचित किया जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

19. State Extension Work Plan 2014-15 के आधार पर जिलावार उपावंटित आत्मा योजना के कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी F (1&2) (डिसप्ले बोर्ड, अल्ट्रा लाइट पिको प्रोजेक्टर) तथा उपकरण (कम्प्यूटर आदि) की खरीद आदि के लिये नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाई की जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

20. आत्मा योजना के कार्यक्रमों को तय समय सीमा में कार्यांवित करने में यदि मदवार राशि अवशेष न हो तो आत्मा योजना के बैंक खाता में अवशेष राशि (ब्याज सहित) का उपयोग आत्मा के प्रमुखतम कार्यक्रमों को समय सीमा में करने के लिये उपयोग किया जाये। केन्द्रांश/राज्यांश की राशि प्राप्त होने पर संबंधित मद से आहरित राशि का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

21. आत्मा योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में आरक्षित वर्ग के किसानों को योजना का लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

22. निदेशक बामेती, विशेष उद्यानिक फसलों की योजना पूर्व की भाँति आत्मा योजना के माध्यम से कार्यांवित कराने के उद्देश्य से, निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से चर्चा करके अग्रेतर कार्यवाई करें।

(अनुपालन–निदेशक बामेती)

धन्यवाद के साथ समीक्षा बैठक समाप्त हुयी।

11.7.14

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना

20. आत्मा योजना के कार्यक्रमों को तय समय सीमा में कार्यावित करने में यदि मदवार राशि अवशेष न हो तो आत्मा योजना के बैंक खाता में अवशेष राशि (ब्याज सहित) का उपयोग आत्मा के प्रमुखतम कार्यक्रमों को समय सीमा में करने के लिये उपयोग किया जाये। केन्द्रांश/राज्यांश की राशि प्राप्त होने पर संबंधित मद से आहरित राशि का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

21. आत्मा योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में आरक्षित वर्ग के किसानों को योजना का लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(अनुपालन– परियोजना निदेशक आत्मा)

22. निदेशक बामेती, विशेष उद्यानिक फसलों की योजना पूर्व की भाँति आत्मा योजना के माध्यम से कार्यावित कराने के उद्देश्य से, निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से चर्चा करके अग्रेतर कार्यवाई करें।

(अनुपालन–निदेशक बामेती)

धन्यवाद के साथ समीक्षा बैठक समाप्त हुयी।

ह०/–
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना

ज्ञापांक 108/बामेती, पटना/2014–15/686
दिनांक – 11.09.14

प्रतिलिपि:

- निदेशक कृषि, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- उप कृषि निदेशक (सूचना)/अभियंत्रण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- वित्त नियत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- सभी कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सहायक मृदा शोध पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रधान सचिव, कृषि, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.09.14

निदेशक बामेती
बिहार, पटना